

3.	Director/Deputy Secretary, dealing with Military Engineer Service, Ministry of Defence	- Member
Group 'B' Departmental Confirmation Committee :-		
1.	Director General (Personnel), E-in-C's Branch	- Chairman
2.	Joint Director General (Personnel), E-in-C's branch	- Member
3.	Director/ Deputy Secretary dealing with Military Engineer Service, Ministry of Defence	- Member

[No. PC-1/B/76011/BS/RR/CSCC/250/D (Appts)/2017]

DALPAT SINGH, Under Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडार संबंधी समूह 'क' तथा 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडार समूह 'क' तथा 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, भंडार संबंधी समूह 'क' तथा 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में, -
(1) नियम 3 में शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और वेतनमान", के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को रखा जाएगा;
(2) अनुसूची में ;-
(क) ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-I पद के सामने,—
(i) स्तम्भ (4) में,

(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) स्तम्भ (4) के अधीन प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)"

(i) स्तम्भ (11) में

- (क) उप-शीर्षक प्रोन्नति के अधीन, "वेतन बैंड-3 में रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400" प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500)" रखी जाएंगी;

(ख) उप-शीर्षक प्रतिनियुक्ति के अधीन, पैरा (क) के उप पैरा (ii) में "वेतन बैंड-3, 15600 - 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)" प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(ख) "ज्येष्ठ भंडार अधिकारी श्रेणी-II" के पद के सामने, -

- (i) स्तम्भ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.);"
- (ii) स्तम्भ (11) में,-

(क) उप-शीर्षक प्रोन्नति के अधीन, "वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)" प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(ख) उप-शीर्षक प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के अधीन पैरा (क) के उप पैरा (ii) में "वेतन बैंड-2 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4600 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900+142400 रु.)" प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(ग) "भंडार अधिकारी" के पद के लिए, -

- (i) स्तम्भ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्राविष्टिया रखी जाएंगी, अर्थात्:-
"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.);"
- (ii) स्तम्भ (11) में,-

(क) उप-शीर्षक प्रोन्नति के अधीन "वेतन बैंड-2 "वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 -112400 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) उप-शीर्षक प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के अधीन पैरा (क) के उप पैरा (ii) में "वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(घ) "ज्येष्ठ भंडार सहायक" के पद के सामने,-

स्तम्भ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.);"

(ii) स्तम्भ (11) में,—

(क) प्रोन्नति उप-शीर्षक के अधीन, "वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान" प्रविष्टियों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(ख) उप-शीर्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन, "वेतन बैंड-1

5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)" प्र विष्टियां रखी जाएगी।

[सं. डीएचआरडी/16342/आरआर/भंडार संवर्ग/सी/पी/03/965/डी(आर एंड डी)/17 तारीख 30 मई, 2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम को भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 94 तारीख 18 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department Of Defence Research And Development)

New Delhi, the 30th May, 2017

S.R.O. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Stores Group 'A' and 'B' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2012,—

(1) in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" and the "pay band and grade pay, scale of pay" the words "**Level in the Pay Matrix**" shall be substituted;

(2) in the Schedule, —

(a) against the post of "Senior Stores Officer Grade-I" —

(i) in column (4),

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix";

(B) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix"

(i) in column (11), —

(a) under the sub-heading **Promotion**, for the entries "the scale of Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs 5400/- in PB-3", the entries "**Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix**" shall be substituted;

(b) under the sub-heading **Deputation**, in paragraph (a) sub paragraph (ii) for the entries "the scale of pay of Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.5400 in PB-3", the entries "**Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix**" shall be substituted;

(b) against the post of "Senior Stores Officer Grade-II," —

(i) in column (4) for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Level-10 (Rs.56100-177500) in the Pay Matrix” ;

(ii) in column (11), —

(a) under the sub-heading **Promotion**, for the words “the scale of pay of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600 in PB-2”, the words “Level-7(Rs.44900-142400) in the pay matrix” shall be substituted;

(b) under the sub-heading **Deputation (Including short term contract)**, in paragraph (a), in sub paragraph (ii) for the entries “the scale of pay of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 in PB-2”, the entries “Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix” shall be substituted;

(c) against the post of “Stores Officer”, -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-7(Rs.44900-142400) in the Pay Matrix” ;

(ii) in column (11), -

(a) under the sub-heading **Promotion**, for the entries “the scale of pay of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200 in PB-2”, the entries “Level-6(Rs.35400-112400) in the pay matrix” shall be substituted;

(b) under the sub-heading **Deputation (including short term contract)**, in paragraph (a), in sub paragraph (ii), for the entries “the scale of pay of Rs.9300-34800 in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs.4200”, the entries “Level-6(Rs.35400-112400) in the pay matrix” shall be substituted;

(d) against the post of “Senior Store Assistant”, —

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix”;

(ii) in column (11), —

(a) under the sub-heading **Promotion**, for the entries “the scale of Pay of Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2400 in PB-1”, the entries “Level-4(Rs.25500-81100) in the pay matrix” shall be substituted;

(b) under the sub-heading **Limited Departmental Competitive Examination**, for the entries “the pay of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400 in PB-1”, the entries “Level-4(Rs.25500-81100) in the pay matrix” shall be substituted.

[No. DHRD/16342/RRs/Store Cadre/C/P/03/965/D(R&D)/17 dated the 30 May, 2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-4 vide notification number S.R.O. 94 dated the 18th October, 2012.